भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3885

(सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

शेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई

3885. श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में संदिग्ध वित्तीय लेन-देन में संलिप्त पाई गई शेल कंपनियों, नकली कंपनियों या अन्य पंजीकृत कंपनियों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में ऐसी कितनी पंजीकृत कंपनियों की पहचान मुखौटा कंपनियों, नकली कंपनियों या अन्य कंपनियों के रूप में की गई है जिन्हें संदिग्ध वित्तीय लेन-देन में संलिप्त पाया गया है और ऐसी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई की प्रकृति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कंपनियों द्वारा किए जा रहे अवैध धन शोधन, भूमि लेन-देन और कर अपवंचन से संबंधित मामलों की जांच करने का कार्य किसी केन्द्रीय जांच एजेंसी को सौंपा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में 'नकली कंपनी' या 'मुखौटा कंपनी' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, यह मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन न करने सहित संदिग्ध वित्तीय लेनदेनों/धोखाधड़ी में कथित रूप से संलिप्त कंपनियों के विरुद्ध जांच, निरीक्षण और अन्वेषण (3आईएस) के रूप में अधिनियम की धारा 206/210/212 के तहत प्रवर्तन कार्रवाई करता है।

कंपनी रजिस्ट्रार, प्रादेशिक निदेशकों और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) की रिपोर्टों के आधार पर मंत्रालय आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अनुदेश जारी करता है। दंडित कंपनियों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक क में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ऐसी कंपनियों को बंद करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 248(1) के तहत नाम हटाने का अभियान भी चलाता है जो तत्काल पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए कोई व्यवसाय या प्रचालन नहीं कर रही हैं और अधिनियम की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है या कोई कंपनी निगमन के एक वर्ष के भीतर अपना व्यवसाय शुरू करने में विफल रही है या इसके निगमन या ज्ञापन के अभिदाताओं ने उस सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं किया है जो उन्होंने कंपनी के निगमन के समय भुगतान करने का वचन दिया था और अधिनियम की धारा 10क(1) के तहत इसके निगमन के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर इस आशय की घोषणा दाखिल नहीं की गई है या उक्त अधिनियम की धारा 12(9) के तहत किए गए भौतिक सत्यापन के बाद पता चला कि कंपनी कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है। उक्त अधिनियम की धारा 248(1) के अंतर्गत की गई कार्रवाई का विवरण अनुलग्नक ख में दिया गया है।

(ग): चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नकली कंपनी या मुखौटा कंपनी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए अपेक्षित सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, संदिग्ध/संभावित कपटपूर्ण लेन-देन में संलिप्त पाई गई कंपनियों के विवरण वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू) की रिपोर्टों, सीईआईबी (केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो) के संदर्भों, एसएलसीसी (राज्य स्तरीय समन्वय समिति) द्वारा मंत्रालय के साथ साझा किए जाते हैं जो कंपनी अधिनियम 2013, की धारा क्रमशः 206(4), 206(5) और 210 के तहत 3आईएस को आरम्भ करने में महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कार्य करती है।

इसके अतिरिक्त, गंभीर कपट के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 के तहत जांच एसएफआईओ को सौंपी गई है।

जांच/निरीक्षण/अन्वेषण रिपोर्टों के निष्कर्षों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर (आईटी) विभाग और जीएसटी प्राधिकरणों, जैसा भी मामला हो, जैसी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है, ताकि ऐसी कंपनियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के विरूद्ध आगे की कार्रवाई को सक्षम बनाया जा सके।

अनुलग्नक - क

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3885 के लिए भाग (क और ख) के उत्तर

अनुपालन न करने के लिए दंडित कंपनियों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	आंध्र प्रदेश	0	8	136	21	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3.	असम	2	4	4	4	9
4.	बिहार	3	14	55	31	19
5.	चंडीगढ़	3	6	2	3	10
6.	छत्तीसगढ़	0	19	7	68	34
7.	दादर और नगर हवेली दमन और दीव	0	0	01	03	01
8.	गोवा	0	0	5	0	9
9.	गुजरात	5	47	152	169	57
10.	हरियाणा	2	5	29	37	19
11.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	2	2
12.	झारखंड	0	0	0	0	1
13.	कर्नाटक	89	98	66	93	202
14.	केरल	89	24	98	11	20
15.	मध्य प्रदेश	14	29	17	68	16
16.	महाराष्ट्र	10	15	36	144	211
17.	मणिपुर	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	0	0	0	1	0
19.	मिजोरम	0	0	0	0	0
20.	नागालैंड	0	0	0	0	0
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	52	31	110	141	135
22.	ओडिशा	4	10	12	7	3
23.	पुडुचेरी	6	1	10	10	9
24.	पंजाब	5	15	3	11	23
25.	राजस्थान	3	3	21	23	3
26.	तमिलनाडु	20	26	89	56	139
27.	तेलंगाना	6	22	8	7	18
28.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
29.	जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश	0	0	2	2	0
30.	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	0	0	0	0	0

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
31.	उत्तर प्रदेश	0	22	3	18	80
32.	उत्तराखंड	0	0	1	3	2
33.	पश्चिम बंगाल	5	5	34	47	37
34.	केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश	0	0	0	0	0
	कुल	318	404	901	980	1066

अनुलग्नक ख

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3885 के भाग (क और ख) के उत्तर में

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) के तहत की गई कार्रवाई

वर्ष	संपूर्ण भारत	राजस्थान
2020-21	217	0
2021-22	28,305	1,210
2022-23	68,893	1,453
2023-24	0	0
2024-25	0	0
कुल	97,415	2,631